झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 10 वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।

वाद प्रारंभ की तिथि
दि० 28.02.2024

बनाम

प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदा०, पूर्वी सिंहभूम।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
DISPOSED 28/03/24		

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–10 / 2024

परिवादी श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना के लाभ हेतु आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से समर्पित किया गया था, किन्तु अबतक उन्हें एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। यह भी कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक–27.12.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर इसकी शिकायत की गई थी, जिसके आलोक में आयोग द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में अपर आयुक्त–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा दिनांक–06.01.2024 को सुनवाई भी की गई किन्तु अबतक उनके शिकायत का निवारण नहीं हुआ है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.03.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–10 / 2024

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में महिला पर्यवेक्षिका, श्रीमती शशिलता कुजूर, पूर्वी सिंहभूम उपस्थित।

इस वाद में महिला पर्यवेक्षिका, जमशेदपुर, श्रीमती शशिलता कुजूर उपस्थित होकर यह बता रहीं हैं कि परिवादी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् आर्थिक लाभ पाने की अहर्ता पूरी नहीं करती हैं। अतः उन्हें आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। क्योंकि उन्होंने दूसरे बच्चे के लिये लाभ पाने के लिये आवेदन किया है, लेकिन सरकार के संकल्प के अनुसार दूसरा संतान बेटी होने पर ही लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि शिकायतकर्ता को दूसरा संतान पुत्र हुआ है। इस बीच सुनवाई में दूरभाष पर उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने पहले संतान जो पुत्र हुआ था, उसके लिये भी आर्थिक लाभ लेने के लिये आवेदन किया था, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया। आयोग में उपस्थित महिला पर्यवेक्षिका, श्रीमती शशिलता कुजूर का भी मानना है कि शिकायतकर्ता ने पहला आवेदन दिया था, जो कार्यालय में उपलब्ध है। श्रीमती कुजूर आयोग को यह कह रहीं हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शिकायतकर्ता को किस बैंक अकाउंट में भुगतान किया गया है अथवा नहीं किया गया है।

आयोग इसे बहुत ही गंभीर विषय मानता है, क्योंकि जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ऐसे में जो जानकारी एक फिंगर टिप पर हो जाना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं होने की बात कहना स्वीकार योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित कई शिकायतें आयोग को मिल रही हैं और जिले से आ रहे पदाधिकारी यह कहते हैं कि सब कुछ विभाग के स्तर से होता है। अतः उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है।

ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दें और निदेशक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित सभी विषयों के विवरण के साथ उपस्थिति हो, ऐसा निर्देश निर्गत करें।

आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जमशेदपुर को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा पहले संतान के लिये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के आवेदन देने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होने का जिम्मेवार कौन है ? यदि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में जिम्मेवार कर्मी या अधिकारी को चिन्हित नहीं किया, तो आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

धाराओं के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–10 / 2024

28.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित एवं सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के आदेश के आलोक में सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उसमें विस्तार से लाभुक को लाभ नहीं मिल पाने की वजह बताई गई है। साथ ही आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्ता का लिखित आग्रह भी उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने निजी कारणों से इस शिकायत को वापस लेने की बात लिखी है। आयोग इस वाद को निष्पादित करते हुए निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो इस योजना के विभिन्न प्रावधानों और योजना का लाभ लेने के लिए वांछित दस्तावेजों के संदर्भ की विस्तृत जानकारी के संदर्भ में विशेष प्रचार–प्रसार अभियान प्रारम्भ करें ताकि जन कल्याणकारी योजनायें फाइलों में ही दम तोड़ती न रह जायें। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।